

प्रेषक

राजीव कुमार वत्स
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक
आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय
30प्र0, लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक 23 अगस्त 2017

विषय% अनुदान संख्या-65 के अन्तर्गत आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश के लिए वर्ष 2017-18 के प्रथम पांच माह (अप्रैल से अगस्त 2017 तक) के लिए स्वीकृत लेखा अनुदान को घटाते हुये अवशेष वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 के क्रम में कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 (प्रति संलग्न) के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय आय-व्ययक के अनुदान संख्या-65 के लेखाशीर्ष-2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-095-लेखा तथा खजाना निदेशालय-03-आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय के अन्तर्गत धनराशि रू0 886.07 लाख (रूपये आठ करोड छियासी लाख सात हजार मात्र) में से वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पांच माह (अप्रैल से अगस्त 2017 तक) के लिए स्वीकृत लेखा अनुदान स्वीकृत धनराशि रू0 389.81 लाख (तीन करोड नवासी लाख इक्कासी हजार मात्र को घटाते हुये वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये अवशेष रू0 496.26 लाख (चार करोड छानबे लाख छब्बीस हजार मात्र) जिसका विवरण निम्नवत् है, उपरोक्त सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03-08-2017 में उल्लिखित प्रतिबन्धों/निर्देशों के अधीन वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिए आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

लेखाशीर्ष/मद

लेखाशीर्ष-2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन

-095-लेखा तथा खजाना निदेशालय

-03-आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय

धनराशि (लाख रुपये में)

मानक मद संख्या व मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये आय-व्ययक अनुमान	वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पांच माहो (अप्रैल से अगस्त 2017 तक) के लिये स्वीकृत अनुदान	वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पांच माहो (अप्रैल से अगस्त 2017 तक) के लिये स्वीकृत अनुदान
1	2	3	4
01-वेतन	677.71	321.25	356.46
02-मजदूरी	0.50	0.21	0.29
03-मंहगाई भत्ता	40.66	16.06	24.60
04-यात्रा व्यय	6.00	2.50	3.50
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.00	0.42	0.58
06-अन्य भत्ते	40.00	16.67	23.33
07-मानदेय	0.50	0.21	0.29
08-कार्यालय व्यय	10.00	4.17	5.83
09-विद्युत देय	5.00	2.08	2.92
10-जलकर/जल प्रभार	1.00	0.42	0.58
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3.00	1.25	1.75
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	6.00	2.50	3.50
13-टेलीफोन पर व्यय	2.00	0.83	1.17
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	8.00	3.30	4.70
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.50	0.63	0.87
17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	1.00	0.42	0.58
22- आतिथ्य व्यय	1.00	0.42	0.58
29-अनुरक्षण	7.00	2.92	4.08
42-अन्य व्यय	1.00	0.42	0.58
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	5.00	2.08	2.92

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00	0.42	0.58
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर साफ्ट वेयर का क्रय/	10.00	4.17	5.83
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	3.00	1.25	1.75
49-चिकित्सा व्यय	7.20	5.00	2.20
51-वर्दी व्यय	0.50	0.21	0.29
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	46.50	--	46.50
योग	886.07	389.81	496.26

(चार करोड छानबे लाख छब्बीस हजार मात्र)

2- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों व नवीनतम शासनादेश संख्या-सीए-934/दस-2008-मित-1/2004 दिनांक 02 सितम्बर, 2008 का विशेष रूप से पालन किया जाय ताकि अपव्यय को रोका जा सके।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-2016/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- उपर्युक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जहां भी नियमों के अन्तर्गत शासन की स्वीकृति आवश्यक हो धनराशि व्यय करने से पूर्व अपेक्षित स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय

राजीव कुमार वत्स

अनु सचिव।

संख्या-9/2017/एस0ई0-597(1)/दस-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- निदेशक, आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 6- वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1/2
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
राजीव कुमार वत्स
अनु सचिव।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।